



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06042023-244989
CG-MH-E-06042023-244989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1529]
No. 1529]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

रेल मंत्रालय
[पश्चिम रेलवे]
(निर्माण संगठन)
अधिसूचना
मुम्बई, 3 अप्रैल, 2023

का.आ. 1607(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद में कलोल कड़ी कटोसन रोड आमान परिवर्तन परियोजना (37.23 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, विरमगाम, जिला अहमदाबाद को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्টিशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विषय: गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में कलोल कड़ी कटोसन रोड आमान परिवर्तन परियोजना (37.23 कि.मी.)
नाम की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या
उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: अहमदाबाद

क्रम संख्या	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
	देव्रोज	भोयनिपुरा		
1	देव्रोज	भोयनिपुरा	93	8214.00
2	देव्रोज	भोयनिपुरा	91	93.00
3	देव्रोज	भोयनिपुरा	92	14.00
4	देव्रोज	भोयनिपुरा	111	847.00
5	देव्रोज	भोयनिपुरा	110	404.00
6	देव्रोज	भोयनिपुरा	109	109.00
7	देव्रोज	भोयनिपुरा	107	1654.00
8	देव्रोज	भोयनिपुरा	100	500.00
9	देव्रोज	भोयनिपुरा	105	2668.00
10	देव्रोज	भोयनिपुरा	104	7867.00
11	देव्रोज	भोयनिपुरा	102	817.00
12	देव्रोज	भोयनिपुरा	103	104.00
13	देव्रोज	भोयनिपुरा	5	8513.00
14	देव्रोज	भोयनिपुरा	166	1417.00
15	देव्रोज	भोयनिपुरा	167	1584.00
16	देव्रोज	भोयनिपुरा	7	486.00
17	देव्रोज	भोयनिपुरा	19	656.00
18	देव्रोज	भोयनिपुरा	90	40.00
19	देव्रोज	भोयनिपुरा	99	8815.00
20	देव्रोज	भोयनिपुरा	101	7542.00
21	देव्रोज	भोयनिपुरा	6	1666.00
			कुल:	54010.00

[फा. सं. ई आफिस-ई-391786-2]

नंद राम, मुख्य अभियंता (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS
(Western Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd April, 2023

S.O. 1607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Kalol Kadi Katosan Road (37.23 km) Gauge Conversion Project in Ahmedabad District of the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer-Viramgam, District Ahmedabad, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Sub: Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project
namely: Kalol Kadi Katosan Road (37.23 Km.) Gauge Conversion Project in Ahmedabad District of
the state of Gujarat.**

Name of District: Ahmedabad

Sl. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
	Detroj	Bhoynipura		
1	Detroj	Bhoynipura	93	8214.00
2	Detroj	Bhoynipura	91	93.00
3	Detroj	Bhoynipura	92	14.00
4	Detroj	Bhoynipura	111	847.00
5	Detroj	Bhoynipura	110	404.00
6	Detroj	Bhoynipura	109	109.00
7	Detroj	Bhoynipura	107	1654.00
8	Detroj	Bhoynipura	100	500.00

9	Detroj	Bhoynipura	105	2668.00
10	Detroj	Bhoynipura	104	7867.00
11	Detroj	Bhoynipura	102	817.00
12	Detroj	Bhoynipura	103	104.00
13	Detroj	Bhoynipura	5	8513.00
14	Detroj	Bhoynipura	166	1417.00
15	Detroj	Bhoynipura	167	1584.00
16	Detroj	Bhoynipura	7	486.00
17	Detroj	Bhoynipura	19	656.00
18	Detroj	Bhoynipura	90	40.00
19	Detroj	Bhoynipura	99	8815.00
20	Detroj	Bhoynipura	101	7542.00
21	Detroj	Bhoynipura	6	1666.00
			Total	54010.00

[F. No. E Office E-391786-2]

NAND RAM, Chief Engineer (Construction)–II